भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 1095

गुरूवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन पर वायु प्रदूषण का प्रभाव**

**1095 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि प्रदूषण के कारण पर्यटकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यटन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने या प्रदूषण के कारण पर्यटकों को हो रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय **अनुबंध** में दिए गए हैं।

*****

**अनुबंध**

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण द्वारा पर्यटन पर वायु प्रदूषण का प्रभाव के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1095 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

**देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**

**1. वायु गुणवत्ता की निगरानी और नेटवर्क:**

- परिवेशीय वायु गुणवत्ता: नेटवर्क देश में 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (558 सतत और 966 मैनुअल) का एक नेटवर्क है जिसमें दिल्ली और एनसीआर शहरों सहित देश के 550 शहर शामिल हैं।
- सीपीसीबी द्वारा एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटा पीएम कॉन्सेंट्रेशन, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं की ट्रैकिंग की जा रही है।
- बुलेटिन सीपीसीबी की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दैनिक एक्यूआई प्रकाशित किया जाता है जो पूरे भारत के शहरों की एक्यूआई जानकारी देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के साथ-साथ वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहन प्रदूषण, पराली जलाने, स्थायी जीवन शैली आदि से संबंधित सूचनात्मक पोस्ट भी नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।
- सीपीसीबी एक दैनिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिल्ली और एनसीआर शहरों का एक्यूआई, एक्यूआई की तुलनात्मक स्थिति, पीएम कॉन्सेंट्रेशन के वर्ष-वार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, पराली जलाने संबंधी मामले, पराली जलाने का प्रभाव और मौसम संबंधी पूर्वानुमान शामिल हैं। यह रिपोर्ट आईएमडी, सफर, आईएआरआई आदि जैसे विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

**2. दिल्ली-एनसीआर में नियामक कार्रवाई:**

- वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया था, जिसे कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी की सिफारिश पर जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। हाल के वर्षों में की गई कार्रवाइयों और वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के आधार पर सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2020 में जीआरएपी के तहत सूचीबद्ध कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई थी। सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सीएक्यूएम द्वारा संशोधित जीआरएपी प्रकाशित किया गया था

और इसके कार्यान्वयन के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे। जीआरएपी के तहत विभिन्न एक्यूआई स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्रवाइयों को समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा गठित उप-समिति द्वारा लागू किया जाता है।

- दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम और नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जुलाई 2022 में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-सीमा और कार्यान्वयन योजना सहित लक्ष्य निर्धारित करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इस नीतिगत कार्यढांचे में वायु प्रदूषण में वृद्धि करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार हस्तक्षेप, मात्रात्मक लक्ष्य और समयसीमा का विवरण दिया गया है।
- सीएक्यूएम द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय निर्धारित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे डीजी सेटों में आरईसीडी प्रणाली/दोहरे ईंधन किटों का कार्यान्वयन, उद्योगों में स्वच्छतर ईंधनों का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन को अपनाना, सी एंड डी स्थलों पर धूल नियंत्रण संबंधी उपायों का कार्यान्वयन आदि इसके अलावा, एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति भी तैयार की गई है।

**3. दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से उत्सर्जन के नियंत्रण संबंधी उपाय:**

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में धान की पराली का स्वस्थाने प्रबंधन के लिए दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु योजना शुरू की। वर्ष 2018 से 2024-25 (दिनांक 15.11.2024 तक) की अवधि के दौरान, कुल 3623.45 करोड़ रुपये (पंजाब - 1681.45 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1081.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 763.67 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - 6.05 करोड़ रुपये और आईसीएआर - 83.35 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं। राज्यों ने इन 4 राज्यों में प्रत्येक किसान और 40000 से अधिक सीएचसी को 3.00 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं, जिनमें 4500 से अधिक बेलर और रेक भी शामिल हैं, जिनका उपयोग गट्ठर के रूप में सूखी घास को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जिसे बाद में बाहरी स्थानों में उपयोग किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना का समर्थन करने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया था।
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) तथा विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे इसरो, आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ की गई अनेक बैठकों में हुए विचार-

विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, सीएक्यूएम ने फसल अवशेष जलाने को नियंत्रित करने/उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक प्रदान की है और उन्हें इस रूप-रेखा के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।

- धान की पराली के एक्स-सिटु प्रबंधन को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं/पहलों के अभिसरण के लिए विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।
- सीएक्यूएम ने दिल्ली को छोड़कर जहां औद्योगिक ईंधन के रूप में केवल पीएनजी की अनुमति है, एनसीआर में औद्योगिक ईंधन के रूप में पीएनजी अथवा बायोमास के उपयोग की अनुमति देने के निदेश जारी किए हैं। सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किमी के क्षेत्र के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास की सह-फायरिंग के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।
- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने को समाप्त और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती से और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।
- वर्ष 2021, 2022 और 2023 मिली सीख के आधार पर राज्य विशिष्ट विस्तृत, निगरानीयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संबंधित राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को दिनांक 10.06.2021 के निर्देश के माध्यम से सीएक्यूएम द्वारा सलाह के रूप में दी गई रूपरेखा के आधार पर सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2024 के लिए कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें, अद्यतन तथा अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार, सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस प्रथा को खत्म करने के लिए वर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्यढांचे संशोधित कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.04.2024 को संबंधित राज्यों को एक वैधानिक निर्देश जारी किया गया था।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैलेटाइजेशन और टोरीफैक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण सुरक्षा प्रभार निधियों के अंतर्गत एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। पैलेटाइजेशन प्लांट की स्थापना के मामले में, रु. 28 लाख प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 1.4 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। टोरेफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपये प्रति टीपीएच, या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 2.8 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

- उपर्युक्त सीपीसीबी दिशानिर्देशों के तहत पेलेटाइजेशन और टोरेफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए अब तक कुल 17 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 02 संयंत्र स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। 15 स्वीकृत संयंत्रों की पैलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन संयंत्रों से प्रति वर्ष 2.70 लाख टन पराली के उपयोग की उम्मीद है।
- वर्ष 2023 के पराली जलाने के मौसम (दिनांक 10.11.23 के बाद) के दौरान, पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु निगरानी और प्रवर्तन कार्यों को तेज करने के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी के 33 वैज्ञानिकों को फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में तैनात किया गया था। इन फ्लाइंग स्क्वाड ने संबंधित जिलों के राज्य सरकार/नोडल अधिकारियों/अधिकारियों के साथ समन्वय किया और अपनी दैनिक रिपोर्ट सीएक्यूएम को भेजी।
- सीपीसीबी ने पराली जलाने से संबंधित निगरानी और प्रवर्तन कार्यों को तेज करने के लिए 01 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के लिए 26 टीमों (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) को तैनात किया है। ये टीमें राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर तैनात संबंधित प्राधिकरणों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं और सीएक्यूएम को रिपोर्ट कर रही हैं।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 31 केंद्रीय टीमों को प्रतिनियुक्त किया था, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1 से 15 सितंबर, 2024 तक गुणवत्ता सर्वेक्षण कार्य किया। इन टीमों द्वारा 275 निर्माताओं का दौरा किया गया और 910 कृषि संबंधी मशीनों की गुणवत्ता की लेखा परीक्षा की थी। इसके अलावा, 10 केंद्रीय टीमों ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान पंजाब और हरियाणा राज्यों में मशीनों के उपयोग पर सर्वेक्षण किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग, सीएक्यूएम और आईसीएआर तथा अन्य हितधारकों के सदस्यों की एक टीम ने 14 नवंबर, 2024 को धान की पराली के प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को देखने के लिए पंजाब राज्य का दौरा किया था।

**4. वाहनों के उत्सर्जन के नियंत्रण संबंधी उपाय:**

- सीएक्यूएम द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को क्लीनर मोड में स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच दिनांक 01.11.2023 से सभी राज्य सरकार की बस सेवाएं केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
- माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वीआरएस प्रणाली की स्थापना।

## 5. औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण संबंधी उपाय:

- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलाने वाले लाल श्रेणी के उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छ ईंधन की ओर अंतरित हुई हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचालनरत इकाइयां पीएनजी/बायोमास में अंतरित हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी में बदलने के निर्देश जारी किए गए हैं। 4608 ईंट भट्टों में से कुल 3003 जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित हो गए हैं, जिनमें हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे शामिल हैं। जिन ईंट भट्टों को जिग-जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित नहीं किया गया है उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी गई है।
- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/अपग्रेड के लिए भी निधि प्रदान करता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- दिल्ली-एनसीआर में दिनांक 01.01.2023 से एक अनुमोदित ईंधन सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया की आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधनों की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर एनसीआर में केवल पीएनजी अथवा बायोमास पर प्रचालन करने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाती है। एनसीआर में ईंधन आधारित 7759 उद्योगों में से 7449 उद्योगों को अनुमोदित ईंधनों में स्थानांतरित कर दिया गया है और शेष 310 उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही हैं।
- एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

## 6. निर्माण और तोड़फोड़ जनित (सीएंडडी) अपशिष्ट:

- डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को सी एंड डी साइटों पर एंटी-स्मॉग गन की स्थापना और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए।
- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए।
- निर्माण स्थलों के लिए धूल शमन उपायों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

**7. दिल्ली-एनसीआर में निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन:**

- प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति और वायु (पी एंड सीपी) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण उद्योगों, सी एंड डी साइटों, डीजी सेटों के गुप्त निरीक्षण करने के लिए सीएक्यूएम की सहायता हेतु सीपीसीबी द्वारा दिसंबर 2021 से 40 टीमों को नियुक्त किया गया है।

**8. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम:**

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 130 शहरों (नॉन-अटेंमेंट शहरों और मिलियन प्लस शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 06 नॉन-अटेंमेंट शहर (एनएसी) हैं, जिनमें से 03 शहरों - दिल्ली, अलवर और नोएडा को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है और 03 शहरों- गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद को 15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है।
- वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नगर कार्य योजनाएं सभी 06 चिह्नित शहरों में कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं।

**9. अन्य:**

- **"एक** पेड़ **मां के नाम"** नामक अभियान के तहत दिल्ली-एनसीआर राज्यों में 2.07 करोड़ पेड़ (दिल्ली में 2.06 लाख पेड़, हरियाणा में 61 लाख पेड़, यूपी में 1.11 करोड़ पेड़ और राजस्थान में 32.9 लाख पेड़) लगाए गए।

*****